न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी गणराज बडगोती (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

प्रा0पत्र संख्या–03/2023
प्रा0पत्र प्रविष्टि दिनांक–16.06.2023
निर्णय दिनांक–27.11.2025

सोहनी पत्नि पन्ना लाल जाति जाट निवासी ग्राम अलीनगर तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थिया

बनाम

प्रहलाद पुत्र कल्याण जाति जाट निवासी ग्राम अलीनगर तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

अप्रार्थी

अधिवक्ता प्रार्थिया–श्री शंकरलाल चौधरी एड0, श्री मदनलाल चौधरी एड0

अधिवक्ता अप्रार्थी–श्री विवेक चौधरी एड0

आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 अभिधृति (संशोधन) अधिनियम 2010

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र बउनवानी सोहनी बनाम प्रहलाद प्रकरण संख्या 03/2023 के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि भूमि आराजी ख0न0 237 रकबा 1.7956 हैक्ट. वाके ग्राम अलीनगर, पटवार हल्का नोरंगपुरा, तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसका प्रार्थिया काबिज सहखातेदार काश्तकार है। प्रार्थिया की उपरोक्त खातेदारी की भूमि में से ख0न0 237, 236, 224, 227, 225 में आने जाने के लिए वर्षो से आम रास्ता ख0न0 211 से पश्चिम दिशा की मेड से होकर नक्शा शीट में डोटेड रास्ता बना हुआ है। जिस पर मिट्टी डालकर ग्रेवल रास्ता बना हुआ है। जिसमें से प्रार्थिया अपनी भूमि को काश्त करने के लिए व बोने, जोतने के लिए वर्षो से आती जाती रही है, लेकिन अप्रार्थी, प्रार्थिया को उपरोक्त रास्ते से निकलने में व कृषि वाहनो को आने जाने में जोर जबरदस्ती व लठ के बल पर अने हुए नक्शा शीट में डोटेड रास्ते को बन्द करने पर आमादा है तथा अनावश्यक विवाद उत्पन्न करता रहता है। उक्त रास्ता पूर्व में कभी बंद नही किया गया था। आवेदकगण के पास अपनी उपरोक्त वर्णित आराजीयात वाके ग्राम अलीनगर पर आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। अप्रार्थी रास्ते

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

को बंद करने पर आमादा है तथा रास्ते से आने जाने पर गाली गलोच करता है, जिसके कारण आवेदक को अपनी भूमि पर आने जाने में काफी परेशानीयो का सामना करना पड रहा है। इस कारण आवेदक को अपने खेतो में जाने के लिए पुख्ता नक्शा शीट में डोटेड रास्ते का अंकन नक्शा शीट में करवाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थीया अपने खेतो में आने जाने के लिए व पशुओ, वाहनो को ले जाने के लिए पुख्ता 15 फिट रास्ता मंजूर किया जावे तथा नक्शा शीट व राजस्व अभिलेख में अलग–अलग ख0न0 कायम कर रास्ते के रूप में अंकन करवाया जावे। उपरोक्त रास्ते के लिए नियमानुसार प्रार्थिया शुल्क जमा करवाने के लिए तैयार है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि आराजी ख0न0 237, 236, 224, 227, 225 वाके ग्राम अलीनगर, पटवार हल्का नोरंगपुरा में आने जाने के लिए ख0न0 211 से पश्चिम दिशा की मेड से होकर 15 फिट चौडे डोटेड रास्ते का नक्शा शीट में तरमीम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अलग से ख0न0 कायम कर रास्ते के रूप में अंकन किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं तहसीलदार पीपलू से चाहे गये रास्ते की मौका निरीक्षण रिपोर्ट चाही गई। प्रतिपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री विवेक चौधरी एड0 ने वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त वर्णित आराजीयात का ग्राम अलीनगर में स्थित होना स्वीकार है। ख0न0 237 की खातेदारी 40 अभिधारियो के नाम दर्ज है। जिसमे से किसी को भी प्रार्थिया ने प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। इस कारण प्रार्थिया का आवेदन ग्राह्य नही है। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र में अंकित खसरा नम्बरान् के खातेदारान् को पक्षकार नही बनाया गया। द्वितीय ख0न0 211 को लेकर जो अंकन किया गया है। वह भी गलत है। मौके पर रास्ता ख0न0 193 में बना हुआ है और इसी से खातेदारान् अपनी आराजी पर आते जाते रहे है, किन्तु जानबूझकर प्रार्थिया ने तथ्यो को छुपाते हुए रंजिशवंश यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध पेश किया गया है और अंकित खातेदारो को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गया है। आराजी ख0न0 193 में बने हुए रास्ते का आने जाने हेतु उपयोग उपभोग किया जा रहा है। जिसमें प्रार्थिया ही नही बल्कि अप्रार्थी भी उपयोग उपभोग कर रहा है, किन्तु प्रार्थिया ने इस आवेदन में जानबूझकर गलत रूप से अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने का अंकन किया है। प्रस्तुत आवेदन से पूर्व भी अन्य खातेदारान् द्वारा अपनी आराजी पर बंद किये गये रास्ते को खुलवाने हेतु कार्यवाही की थी तथा वर्तमान समय में भी वह जेरकार है। इस कारण प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत आवेदन मेन्टेनेबल नही है। आवेदन के अन्त में प्रार्थीया द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रार्थीया प्राप्त करने की अधिकारी नही है। उसके द्वारा वास्तविक तथ्यो को छुपाते हुए व संबंधित खातेदारान् को पक्षकार बनाये बिना चालाकी से आवेदन प्रस्तुत किया है, जो सारहीन एवं विधि विरूद्ध होने व वास्तविक तथ्यो को छुपाते हुए बनावटी तथ्यो पर प्रस्तुत किये जाने के कारण मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय हाजा के पत्रांक 906 दिनांक 16.06.2023 की पालना में तहसीलदार पीपलू के पत्रांक 1218 दिनांक 26.12.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया की प्रार्थिया वर्तमान में ख0न0 211 की पश्चिमी मेड पर स्थित रास्ते से ख0न0 237 में आ जा रहा है। ख0न0 211 की पश्चिमी मेड पर राजस्व रिकॉर्ड अनुसार डोटेड रास्ता आ जा रहा है, जो आवागमन के काम आ रहा है। जिस पर कभी कभार विवाद हो जाता है। प्रार्थिया उक्त रास्ते को पुख्ता करवाना चाहती है। प्रस्तावित रास्ते की चौडाई 15 फिट व लम्बाई 314 फिट है तथा कुल क्षैत्रफल 0.0437 हैक्ट. होगा। प्रस्तावित भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर 6,94,910 रूपये प्रति हैक्ट. है। प्रस्तावित रास्ते को डी.एल.सी. दर 30,368 रूपये बनती है। जिसकी दोगुनी दर से प्रतिकर राशि 60,736 रूपये है। विवादित आराजीयात ख0न0 237 में आवेदक सह खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थिया ख0न0 211 की पश्चिमी मेड पर से रास्ता चाहता है। प्रस्तावित रास्ते को नक्शा ट्रेस में लाल रंग से चिन्हित कर नक्शा ट्रेस दो प्रतियों में संलग्न है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना नही है। अप्रार्थीगण उक्त रास्ता पुख्ता करवाने के लिए सहमत नही है। प्रस्तावित रास्ता अब्दूल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस से पूर्व एक प्रार्थना पत्र रिपोर्ट कुरेजात पर आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया की उक्त उनवानी प्रकरण में रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व प्रभावित पक्षकारो को बिना नोटिस दिये तथा बिना सूचना दिये प्रार्थिया ने राजस्व प्राधिकारियो से मिलीभगत कर रिपोर्ट तैयार करवाकर माननीय हाजा न्यायालय को भिजवायी है, जो विधिक नियमो एवं प्रावधानो के विरूद्ध है। राजस्व अधिकारियो ने ख0न0 211 की पश्चिमी मेड से डोटेड लाइन से रास्ता होना बताया है। जबकि मौके पर यह रास्ता ख0न0 193 में स्थित है। बिना नाप चौप के ख0न0 211 में रास्ते का अंकन किया है, जो गलत है। प्रार्थीया ने राजस्व अधिकारियो से मिलीभगत कर महत्वपूर्ण तथ्यो को छिपाते हुए रिपोर्ट तैयार करवायी है। प्रार्थिया ने जिस ख0न0 237 पर आने जाने हेतु रास्ता चाहा है। उसके अडवा ही उसके पति पन्नालाल पुत्र रतना की खातेदारी का खेत ख0न0 193 स्थित है। वहां से प्रार्थिया सुविधाजनक तरीके से रास्ता ले सकती है। साथ ही रिपोर्ट में ख0न0 237 के अन्य सह अभिधारियो द्वारा रास्ते की कोई मांग नही की गई है, और ना ही प्रार्थिया का हिस्सा ख0न0 237 में निर्धारित है। सभी तथ्यो को रिपोर्ट तैयार करते समय छुपाया गया है। ऐसी स्थिती में प्रस्तुत रिपोर्ट पूर्णतः अवैध है। उस पर विश्वास नही किया जा सकता है। रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व नियम 69 के प्रावधानो की पूर्णतः अवहेलना राजस्व प्राधिकारियो द्वारा की गई है। इस कारण माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट अपूर्ण एवं अवैध है। इसलिए सही एवं वास्तविक रिपोर्ट पक्षकारो की उपस्थिती में तैयार करवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है की प्रस्तुत रिपोर्ट को निरस्त फरमाया जाकर पुनः रिपोर्ट तैयार करने हेतु आदेश फरमाया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने आपत्ति प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि भूमि आराजी ख0न0 237 रकबा 1.7956 हैक्ट. ग्राम अलीनगर तह0 पीपलू में स्थित है। ख0न0 237, 224, 227, 225 में

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

आने जाने के लिए आम रास्ता ख0न0 271 के पश्चिम दिशा में डोटेड रास्ता बना हुआ है। जिस पर मिट्टी डालकर अवरूद्ध कर दिया है। उक्त आम रास्ता पर अनाधिकृत रूप से अवरोध करने की बेजा हरकत कर न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत कर दी, जो न्यायालय को गुमराह करने एवं न्यायालय का समय बर्बाद करने की नियत से आपत्ति प्रस्तुत कर दी है, जो अपने मनसूबो में कभी कामयाब नही हो सकते है। प्रार्थिया के पास अपनी खातेदारी में आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। ख0न0 237 के बारे में भ्रमित करने का अंकन किया है तथा पक्षकारो के मध्य राजस्व कर्मचारियो द्वारा पक्षकारो की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार की गयी है। पत्रावली को अनावश्यक विलम्ब करने की नियत से यह आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य है। अतः श्रीमान जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है की प्रस्तुत प्रार्थना मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे तथा भूमि ख0न0 211 के पश्चिम दिशा में अंकित रास्ते को खुलासा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में पुख्ता अंकित करवाया जावे ताकि काश्तकार अपनी भूमियो को बोने जोने में अनावश्यक परेशानियां से निजात मिल सके।

उभयपक्ष अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए व प्रार्थना पत्र आपत्ति रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। उभयपक्ष की उक्त दोनो प्रार्थना पत्रो पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थिया ने अपनी बहस में बताया की भूमि आराजी ख0न0 237 रकबा 1.7956 हैक्ट. वाके ग्राम अलीनगर, पटवार हल्का नोरंगपुरा, तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसकी प्रार्थिया काबिज सहखातेदार काश्तकार है। प्रार्थिया की उपरोक्त खातेदारी की भूमि में से ख0न0 237, 236, 224, 227, 225 में आने जाने के लिए वर्षो से आम रास्ता ख0न0 211 से पश्चिम दिशा की मेड से होकर नक्शा शीट में डोटेड रास्ता बना हुआ है। जिस पर मिट्टी डालकर ग्रेवल रास्ता बना हुआ है। जिसमें से प्रार्थिया अपनी भूमि को काश्त करने के लिए व बोने, जोतने के लिए वर्षो से आती जाती रही है, लेकिन अप्रार्थी, प्रार्थिया को उपरोक्त रास्ते से निकलने में व कृषि वाहनो को आने जाने में जोर जबरदस्ती व लठ के बल पर अने हुए नक्शा शीट में डोटेड रास्ते को बन्द करने पर आमादा है तथा अनावश्यक विवाद उत्पन्न करता रहता है। उक्त रास्ता पूर्व में कभी बंद नही किया गया था। आवेदकगण के पास अपनी उपरोक्त वर्णित आराजीयात वाके ग्राम अलीनगर पर आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। उपरोक्त रास्ते के लिए नियमानुसार प्रार्थिया शुल्क जमा करवाने के लिए तैयार है। अप्रार्थी न्यायालय को गुमराह करने एवं न्यायालय का समय बर्बाद करने की नियत से आपत्ति प्रस्तुत की है, प्रार्थीया के पास अपनी खातेदारी में आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। ख0न0 237 के बारे में भ्रमित कने का अंकन किया है तथा पक्षकारो के मध्य राजस्व कर्मचारियो द्वारा पक्षकारो की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार की गयी है। पत्रावली को अनावश्यक विलम्ब करने की नियत से यह आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जो मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने जावे एवं ख0न0 237, 236, 224, 227, 225 वाके ग्राम अलीनगर, पटवार हल्का नोरंगपुरा में आने जाने के लिए

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

ख0न0 211 से पश्चिम दिशा की मेड से होकर 15 फिट चौडे डोटेड रास्ते को नक्शा शीट में तरमीम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अलग से ख0न0 कायम कर रास्ते के रूप में अंकन किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि ख0न0 237 की खातेदारी 40 अभिधारियो के नाम दर्ज है। जिसमें से किसी को भी प्रार्थिया ने प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। इस कारण प्रार्थिया का आवेदन ग्राह्य नही है एवं ख0न0 211 को लेकर जो अंकन किया गया है, वह भी गलत है। मौके पर रास्ता ख0न0 193 में बना हुआ है और इसी से खातेदारान् अपनी आराजी पर आते जाते रहे है, किन्तु जानबूझकर प्रार्थिया ने तथ्यो को छुपाते हुए रंजिशवंश यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध पेश किया गया है और अंकित खातेदारो को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गया है। आराजी ख0न0 193 में बने हुए रास्ते का आने जाने हेतु उपयोग उपभोग किया जा रहा है। जिसमें प्रार्थिया ही नही बल्कि अप्रार्थी भी उपयोग उपभोग कर रहा है। वैसे भी उनवानी प्रकरण में रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व प्रभावित पक्षकारो को बिना नोटिस दिये तथा बिना सूचना दिये प्रार्थिया ने राजस्व प्राधिकारियो से मिलीभगत कर रिपोर्ट तैयार करवाकर माननीय हाजा न्यायालय को भिजवायी है, जो विधिक नियमो एवं प्रावधानो के विरूद्ध है। राजस्व अधिकारियो ने ख0न0 211 की पश्चिमी मेड से डोटेड लाइन से रास्ता होना बताया है। जबकि मौके पर यह रास्ता ख0न0 193 में स्थित है। बिना नाप चौप के ख0न0 211 में रास्ते का अंकन किया है, जो गलत है। प्रार्थीया ने राजस्व अधिकारियो से मिलीभगत कर महत्वपूर्ण तथ्यो को छिपाते हुए रिपोर्ट तैयार करवायी है। प्रार्थिया ने जिस ख0न0 237 पर आने जाने हेतु रास्ता चाहा है। उसके अडवा ही उसके पति पन्नालाल पुत्र रतना की खातेदारी का खेत ख0न0 193 स्थित है। वहां से प्रार्थिया सुविधाजनक तरीके से रास्ता ले सकती है। साथ ही रिपोर्ट में ख0न0 237 के अन्य सह अभिधारियो द्वारा रास्ते की कोई मांग नही की गई है, और ना ही प्रार्थिया का हिस्सा ख0न0 237 में निर्धारित है। सभी तथ्यो को रिपोर्ट तैयार करते समय छुपाया गया है। ऐसी स्थिती में प्रस्तुत रिपोर्ट पूर्णतः अवैध है। उस पर विश्वास नही किया जा सकता है। रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व नियम 69 के प्रावधानो की पूर्णतः अवहेलना राजस्व प्राधिकारियो द्वारा की गई है। इस कारण माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट अपूर्ण एवं अवैध है। इसलिए सही एवं वास्तविक रिपोर्ट पक्षकारो की उपस्थिती में तैयार करवाया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है की प्रस्तुत रिपोर्ट को निरस्त फरमाया जाकर पुनः रिपोर्ट तैयार करने हेतु आदेश फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि ख0न0 237 हेतु चाहे गये रास्ते के सभी खातेदारो को पक्षकार नही बनाया है। इस कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। रास्ता चाहने वाले खसरे वाले सभी खातेदारो के एक साथ आवेदन करने की आवश्यकता नही है। 251 ए के तहत् रास्ता की एवज में भार अदायगी भी आवेदक ही वहन करता है। पीडित खातेदार रास्ता के सुखाधिकार पाने के लिए स्वतन्त्र होता है। काश्तकारी अधिनियम की धारा 251

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

ए के अनुसार अन्य खातेदार की जोत मे से नया मार्ग दिये जाने हेतु साक्षियो के बाद यह समाधान होना आवश्यक है, कि प्रार्थिया को रास्ते की आवश्यकता हो तथा अन्य कोई निकटतम रास्ता उपलब्ध नही है। धारा 251–ए में खातेदार को पडौसी खातेदार की भूमि से रास्ता मांगने का प्रावधान है, किन्तु यह भी देखा जाना चाहिए कि अप्रार्थी की खातेदारी भूमि का स्वरूप बिगाड़ने के उद्देश्य से उक्त प्रावधान का उपयोग तो नहीं हो रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ख0न0 198 किस्म गै.मु. रास्ता व रास्ता चाहने वाली भूमि ख0न0 237 के मध्य की भूमि ख0न0 211 मे से ही राजस्व टीम द्वारा रास्ता प्रस्तावित किया है, जो सबसे निकटत्तम भी है तथा उक्त स्थान से डोटेड रास्ता के रूप में आवागमन पूर्व से ही चालू भी है। तहसीलदार पीपलू की रिपोर्ट अनुसार अन्य कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता है, प्रस्तावित रास्ता पूर्व में भी डोटेड रास्ता है। जिसका पुख्ता किये जाने में किसी प्रकार विधिक बाधा कारित नही हो रही है। अतः अधिवक्ता अप्रार्थी की प्रस्तुत आपत्ति सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिवक्ता प्रार्थिया का आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए स्वीकार किया जाकर आवेदिका को अपनी खातेदारी भूमि आराजी ख0न0 237 रकबा 1.7956 हैक्ट. वाके ग्राम अलीनगर, पटवार हल्का नोरंगपुरा में आने जाने के लिए अप्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0न0 211 की पश्चिम दिशा की मेड से होकर मुताबिक प्रस्तावित रास्ता अनुसार 15 फिट चौडाई का रास्ता ख0न0 237 की मेड तक दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार उक्त रास्ते में काम आने वाली भूमि का क्षैत्रफल निकालकर नवीनतम डी.एल.सी. दर के आधार पर दुगुनी प्रतिकर राशि की गणना कर, रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की मालियत का मूल्याकंन करे। तद्नुसार प्रार्थिया द्वारा राशि जमा राजकोष किये जाने के उपरान्त रास्ते हेतु राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ते का अंकन करे एवं नक्शा शीट में प्रस्तावित नक्शा अनुसार अलग से खसरा नम्बर कायम कर रास्ते के रूप में अंकन कर पुख्ता तरमीम की जावे। तहसीलदार पीपलू नवीन रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड के खाता संख्या 01 में करे एवं नक्शा शीट मुताबिक प्रस्तावित नक्शा शीट अनुसार तरमीम करे। उक्त प्रस्तावित रास्ता सार्वजनिक उपयोग उपभोग के लिए आमजन के लिए रहेगा। निर्णय आज दिनांक 27.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(गणराज बडगोती आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
पीपलू (कोड)